रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223853
SG-DL-E-22122020-223853

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/अग्रहायण 30, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 229
No. 274]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942	[N. C. T. D. No. 229

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

संख्या 19/2019–राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(103)/वित्त (राजस्व–I)/2019–20/डीएस–IV/239.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो जोकि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा –

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और

(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है।

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्धन,

(2) हरित कृषि : विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त जैव विविधता और वनक्षेत्र का संरक्षण।

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव–IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st December, 2020

No. 19/2019 – State Tax (Rate)

No. F. 3(103)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-IV/239.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, all the goods supplied to the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) for execution of projects listed below in the Annexure, from whole of the State Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare certifies, namely—

(i) the quantity and description of the goods; and

(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects;

ANNEXURE

(1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,

(2) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.22 16:05:14 +05'30'